न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री कनिष्क सैनी

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 3/18/18 तारीख रजू 12-4-18

प्रार्थी–

भूमिधारी राजस्थान सरकार

जरिये तहसीलदार कठूमर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्रीमान रामदेव पि० हरीचन्द

2. भगतसिंह पुत्र दुलीचन्द गूजर री

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 ,136

राज. भूराजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक

तहसीलदार कठूमर (प्रार्थी) की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया। प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम ठीकरी के भूमि खसरा नं. 532, 532/682 (1.90, 1.90) रकबा 3.80 है. रिकार्ड के अनुसार वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा राज. भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 (1) में परिभाषित है तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना दि. 17.9.56 के द्वारा धारा 131 ,132 ,136 की शक्तियों के अधीन है। राज. भूराजस्व अधिनियम 1956 के अध्याय 7 सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य से संबंधित है। राज. भूराजस्व अधिनियम की धारा 131 में मानचित्र एवं फील्ड बुक का संधारण व धारा 132 में वार्षिक रजिस्टरों के संधारण का प्रावधान है। इसके अंतर्गत भू–संपत्ति या खेत की सीमाओं के सभी परिवर्तनों को नक्शे पर लेने का दायित्व है।राज. भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60 के नक्शे में दुरूस्ती करने के प्रावधान हैं ,जो नक्शे में संशोधित अधिसूचना दि. 2.4.2008 से संशोधन कर नियम 60 जोडा गया है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में प्रदर्शित मौका नक्शा में अंकन करने का प्रावधान किया गया है ,जिसमें नियम 58 गश्त गिरदावरी , नियम 59 नक्शे के संबंध में ,नियम 60 नक्शे में दुरूस्ती के संबंध में , नियम 66 खेतों के विभाजन के संबंध में व नियम 86 भूमि का वर्ग परिवर्तन के संबंध में होना अंकित करते हुये प्रार्थनापत्र पेश किया गया।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थी के अनुसार उक्त आराजी मौके पर नजरी नक्शा अनुसार विभाजित की जाकर खातेदारों द्वारा अपनी काश्त की सुविधा एवं कृषि विकास हेतु पृथक पृथक मेढ बनाकर कब्जा काश्त हैं तथा उसी अनुसार नक्शे में मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम कराना चाहते हैं। अतः आराजी खसरा नं. 532, 532/690 532/682 532/652 ग्राम ठीकरी तहसील कठूमर नजरी नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम किए जाकर पृथक से बटा नंबर डालने के आदेश दिये जाते हैं।उक्तानुसार तहरीर तहसीलदार कठूमर को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि. 12-4-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

कठूमर (अलवर)